<u>रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99</u>



सी.जी.-एच.आर.-अ.-23082023-248234 CG-HR-E-23082023-248234

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 586] No. 586] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 22, 2023/श्रावण 31, 1945 NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 22, 2023/SHRAVANA 31, 1945

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

(गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए)

अधिसूचना

गुरूग्राम, 4 अगस्त, 2023

फा.सं. जेईआरसी-28/2021.—विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 61, 63, 66, 86 के साथ पिठत धारा 181 के तहत प्रदत्त शक्तियों और टैरिफ नीति, 2016 के खंड 5.3 के अनुसरण में और 2022 की सिविल अपील संख्या 1933 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन के लिए और इसके द्वारा प्राप्त अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गोवा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों (दिल्ली को छोड़कर) के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग, पिछले प्रकाशनों के बाद, अपने मौजूदा जेईआरसी (उत्पादन, पारेषण और वितरण बहुवर्षीय टैरिफ) विनियम, 2021 (इसके बाद इसे मूल विनियम के रूप में संदर्भित) में संशोधन करता है।

अध्याय 1: प्रारंभिक

1. संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ और सीमा

- 1.1 इन विनियमों को गोवा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग)उत्पादन, पारेषण और वितरण बहुवर्षीय टैरिफ) (पहला संशोधन (विनियम, 2023 कहा जाएगा।
- 1.2 ये विनियम, इन विनियमों के अंतर्गत आने वाले टैरिफ के निर्धारण के सभी मामलों के लिए 31 मार्च 2025 तक लागू होंगे, जब तक कि संशोधित/विस्तारित न किया जाए।
- 1.3 ये विनियम संपूर्ण गोवा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, पुड्चेरी और चंडीगढ़ पर लागू होंगे।

5397 GI/2023 (1)

2. मूल विनियम के विनियम 8 में संशोधन:

मूल विनियम के विनियम 8.3 (बी) के बाद निम्नलिखित प्रावधान जोड़ा जाएगा:

बशर्ते कि 66kV और उससे अधिक वोल्टेज स्तर के ट्रांसिमशन सिस्टम की पूंजी निवेश योजना नीचे दी गई सीमा से कम लागत वाली योजनाओं को ध्यान में रख कर होगी:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सीमा - रेखा
गोवा/ चंडीगढ़/ दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव अर्थात (डीएनएचडीडी)	₹ 50 करोड़
पुडुचेरी	₹ 25 करोड़

बशर्ते कि उपर्युक्त प्रावधान में उल्लिखित सीमा रेखा से अधिक 66 केवी और उससे अधिक वोल्टेज स्तर के ट्रांसिमशन सिस्टम की पूंजी निवेश योजना टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) के माध्यम से की जाएगी।

इसके अलावा, संबंधित राज्य ट्रांसमिशन यूटिलिटी इस अधिसूचना के जारी होने के तीन महीने के भीतर उक्त दिशानिर्देश तैयार करेगी और इस आयोग की मंजूरी के बाद इसे अधिसूचित करेगी।

> एस.डी. शर्मा, सचिव (प्रभारी), जेईआरसी [विज्ञापन III/4/असा./365/2023-24]

टिप्पणी:- (1) गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (उत्पादन, पारेषण और वितरण बहुवर्षीय टैरिफ) विनियम, 2021 को दिनांक 23 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र (असाधारण) के भाग III - खंड 4, सं. 110 में प्रकाशित किया गया था।

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

(For State of Goa and UTs)

NOTIFICATION

Gurugram, the 4th August, 2023

F. No. JERC: 28/2021.—In exercise of the powers conferred under Section 181 read with Sections 61, 63, 66, 86 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and in pursuance to the Clause 5.3 of the Tariff Policy, 2016, and for the compliance of the directions issued by the Hon'ble Supreme Court in the matter of Civil Appeal No. 1933 of 2022, and all other powers enabling it in this behalf, the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (except Delhi), after previous publications, hereby amend its existing JERC (Generation, Transmission and Distribution Multi Year Tariff) Regulations, 2021 (hereinafter referred to as the Principal Regulations).

Chapter 1: Preliminary

1. Short Title, Commencement and Extent

- 1.1 These Regulations shall be called the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Generation, Transmission and Distribution Multi Year Tariff) (first amendment) Regulations, 2023.
- 1.2 These Regulations shall be applicable for determination of tariff in all matters covered under these Regulations upto March 31, 2025, unless modified/extended.
- 1.3. These Regulations shall extend to the whole of the State of Goa and the Union Territories of Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu, Puducherry and Chandigarh.

2. Amendment in Regulation 8 of the Principal Regulation:

The following provision shall be added after Regulation 8.3 (b) of the Principal Regulation:

Provided that the Capital Investment Plan of the Transmission System of 66kV & above voltage level shall take into account schemes costing below the threshold limit as given below:

State/UT	Threshold Limit
Goa/Chandigarh/ Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu i.e., (DNHDD)	Rs. 50 Crore
Puducherry	Rs. 25 Crore

Provided further that the Capital Investment Plan of Transmission System of 66kV & above voltage level exceeding the threshold limit as mentioned in the above proviso shall be done through Tariff Based Competitive Bidding (TBCB).

Further, the respective State Transmission Utility shall frame the said guidelines within three months from the issue of this notification and notify the same after approval of this Commission.

S.D. SHARMA, Secy. (I/c), JERC

[ADVT.-III/4/Exty./365/2023-24]

Note:- The Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Generation, Transmission and Distribution Multi Year Tariff) Regulations, 2021 were published in Part III-Section 4, No 110 of the Gazette of India (Extraordinary) dated March 23, 2021